पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 362/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 24.11.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 24.11.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

01.थाना- रौनापार: अवैध असलहा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 23.11.2024 को उ0नि0 उमाशंकर मय हमराह द्वारा थाना रौनापार क्षेत्र अन्तर्गत चेकिंग की जा रही थी कि चेकिंग के दौरान चिलबिली दान चिलबिली से समय करीब 22.15 बजे अभियुक्त शमीम पुत्र जब्बार उर्फ चन्द्रबली साकिन नकीब खोजौली थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को 01 तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 440/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

बरामदगी- 01 देशी तमंचा व जिन्दा कारतूस ।

02.थाना- देवगांव जनपद आजमगढ़: अवैध असलहा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 24.11.2024 को उ0नि0 अमित कुमार त्रिपाठी मय हमराह यादव ढाबा के पास स्थित चन्द्रा अस्पताल के आगे खड़े होकर वाहन चेकिंग के दौरान सूचना मिली जिसपर बेसो नदी पुल के आगे हाइवे से उतरकर कैथीशंकरपुर गांव की तरफ जाने वाले खण्डंजा सड़क पर एक संदिग्ध व्यक्ति को समय 08.05 बजे अवैध असलहा व कारतूस के साथ पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम अरविन्द मौर्या पुत्र रामदुलार मौर्या निवासी कलन्दरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ बताया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 413/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना देवगांव जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

बरामदगी का विवरण- 01 अवैध तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस

आपराधिक इतिहास-

क्र.स.	मु.अ.स.	धारा	थाना	जनपद
1.	104/2018	279, 337, 338 भादवि	देवगांव	आजमगढ़
2.	318/2024	8/20 NDPS ACT	देवगांव	आजमगढ़
3.	371/2022	401 भादवि	देवगांव	आजमगढ़
4.	413/2024	3/25 शस्त्र अधिनियम	देवगांव	आजमगढ़

03.थाना- कोतवाली जनपद आजामगढ़: धोखाधड़ी में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि मृणाल जायसवाल पुत्र मानिकचन्द जायसवाल नि0 म0नं0 120 एलवल थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली पर एक लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी 01 अश्वनी जालान पुत्र संतोष जालान व 02 सन्तोष कुमार पुत्र पुरुषोत्तम जालान व 03 माया जालान पत्नी सन्तोष जालान जो अपने घर मे आरचिड म्युचुअल बेनफिट इण्डिया लि शिवशक्ति पैलेस डुमरा रोड शान्ती नगर सीतामढ़ी बिहार के ब्रांच मैनेजर के रूप में अपने घर / दुकान स्थित सिविल लाईन, मड़या जयरामपुर, थाना-कोतवाली, जिला-आजमगढ़ में उपरोक्त कम्पनी की ब्रांच आफिस चलाते हैं। वादी से पैसे को दो गुना करने का वादा करके कुल रूपया 5,00,000/- जमा करा लिया और कहा कि तीन या चार साल के भीतर आपको इन पैसों को दुगना वापस कर दूँगा लेकिन आज तक नहीं किया। जब समय पूरा होने पर अपना रूपया मांगने लगे तो ये तीनो आना-कानी करने लगे। बाद में पता चला कि यह कम्पनी फर्जी थी जिस आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 267/24 धारा 406/420/467/468 भादवि दि. 07.5.24 को पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 24.11.24 उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अश्वनी कुमार जालान पुत्र संतोष कुमार जालान नि0 मड़या जयराम थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को समय करीब 13.55 बजे सिविल लाईन अग्रसेन चौराहे के पास से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

04. थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़: साइबर फ्राड के 19000 रूपये को कराया गया वापस

पूर्व की घटना-

अवगत करान है कि दिनांक 13.11.2024 को आवेदक विपिन यादव पुत्र रवीन्द्र यादव निवासी सुखापुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ के खाते से 19000/- रूपये पेमेंट करते समय दूसरे के खाते मे चला गया था । जिसकी शिकायत पर थाना स्थानीय पर साईबर शिकायत संख्या 33111240143588 पंजीकृत हुआ उक्त शिकायत पर विधिक कार्यवाही कराते हुये साईबर हेल्पडेस्क प्रभारी उ0नि0 शाहिद खां व कम्प्यूटर आपरेटर आशीष कुमार थाना अतरौलिया आजमगढ़ द्वारा आवेदक के खाते से कटे कुल 19000/- रूपये वापस करा दिया गया।